भामाशाह योजना

खुशहाल राजस्थान की ओर

खुशहाल राजस्थान की ओर

मैंने मुख्यमंत्री बनते समय सरकारी योजनाओं के सभी आम जन तक सीधे पहुंचाने का वादा किया था। उस वादे को हमनें भामाशाह योजना से पूरा किया है।

प्रदेश की जनता के उत्साह और आप सबके सहयोग से आज प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा परिवारों के 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों का भामाशाह नामांकन हो चुका है।

अब तक 1 करोड़ 30 लाख रुपे कार्ड जारी किये गये हैं जिनमें से 85 प्रतिशत कार्ड वितरित किये जा चुके हैं और 55 प्रतिशत कार्ड एक्टिवेट भी किये जा चुके हैं। पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति की राशि लोगों को सीधा खाते में मिल रही है। 2 हज़ार 375 करोड़ रुपये सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किये जा चुके हैं। इस पैसे को निकालने के लिए हमने साढ़े 23 हज़ार से अधिक सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स बनाये हैं जिन पर लाभार्थियों द्वारा अपने खातों से 1 हज़ार 500 करोड़ से ज़्यादा रुपये निकाले जा चुके हैं।

प्रदेश में राशन वितरण भी अब PoS मशीनों से हो रहा है। 24,500 से अधिक राशन की दुकानों पर PoS मशीनें काम कर रही हैं और अब तक 2 करोड़ 5 लाख से अधिक बार बायोमैट्रिक आधारित राशन वितरण किया जा चुका है।

मैं चाहती हूँ कि प्रदेश के हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले। अगर किसी भी व्यक्ति को पैसा पाने, पैसा निकलवाने या राशन पाने में कोई समस्या हो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर उनका समाधान करें।

मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस प्रकाशन में दी गई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर किसी भी जगह, किसी भी कारण से कोई समस्या है तो उसका निवारण करेंगे ताकि हर व्यक्ति तक लाभ सीधा और पारदर्शी तरीके से मिले।

वसुंधरा राजे
मुख्यमंत्री राजस्थान

भामाशाह योजना

प्रगति एक नज़र में

- 1 करोड़ 20 लाख परिवारों के 4 करोड़ 20 लाख से अधिक सदस्यों का नामांकन पूरा
- 1 करोड़ 30 लाख रुपे कार्ड जारी, इनमें से 85% वितरित, 55% एक्टिवेटिड
- 2 हज़ार 375 करोड़ रूपये सीधा लाभार्थियों के खातों में जमा
- इनमें से 1 हज़ार 500 करोड़ से अधिक रूपये लाभार्थियों द्वारा निकाले गये
- 24,500 से अधिक राशन की दुकानों पर POS (पॉस) मशीनें
- 2 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा बार बायोमैट्रिक आधारित राशन वितरण

दिनांकः 1 जून 2016 तक के आंकड़े

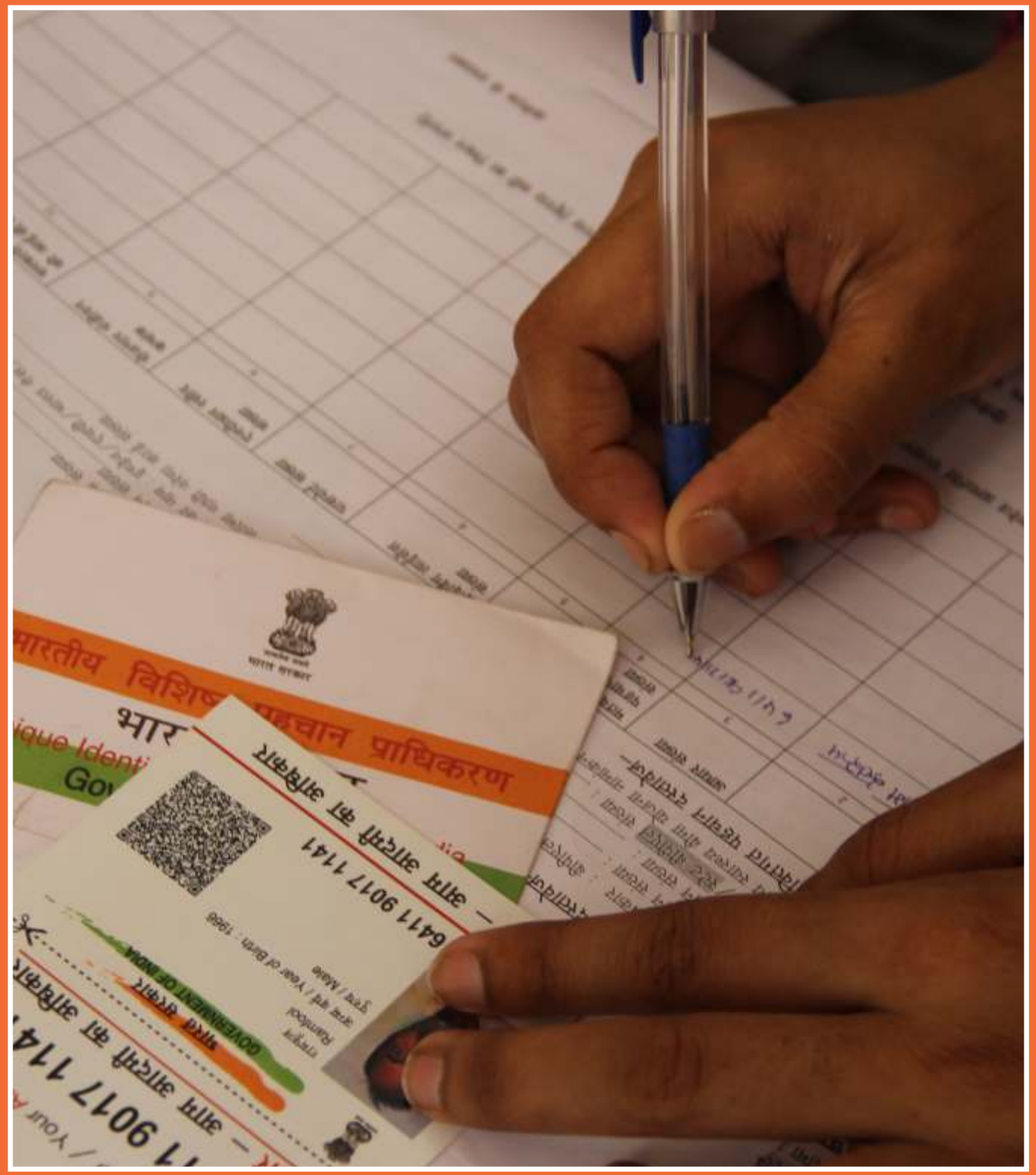

भामाशाह योजना

- राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं राज्य के निवासियों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए भामाशाह योजना की शुरु की गई।
- योजना में महिला को परिवार का मुखिया बनाया गया है और परिवारों के बैंक खाते उन्हीं के नाम पर खोले गए हैं। परिवार को मिलने वाले सरकारी योजनाओं के लाभ सीधा इसी खाते में जमा कराए जा रहे हैं।
- लाभार्थियों को पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति जैसे व्यक्तिगत नकद लाभ भी सीधा व्यक्तिगत खातों में मिल रहे हैं।
- राशन वितरण और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी भामाशाह से मिल रहा है।

भामाशाह नामांकन

- भामाशाह नामांकन निःशुल्क होता है
- राज्य का प्रत्येक परिवार भामाशाह नामांकन करवा सकता है
- नामांकन या सीडिंग शिविर में भामाशाह नामांकन करवाया जा सकता है
- ई–मित्र और अटल सेवा केन्द्रों पर भी नामांकन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है

भामाशाह नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- परिवार के सभी सदस्यों की अलग–अलग फोटो
- परिवार के मुखिया के कोर बैंक खाते की पास बुक की प्रति
- आधार संख्या या आधार नामांकन रसीद की प्रति
- बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन बिल, मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड आदि (जो भी आपके पास हैं) दस्तावेजों की प्रति

भामाशाह कार्ड

- नामांकन पूरा होने के बाद भामाशाह कार्ड बनने में 2 से 3 माह का समय लगता है
- कार्ड छपने पर रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आ जाता है
- कार्ड का वितरण ग्राम सेवक, पटवारी, शहरी वार्ड निरीक्षक, स्थानीय ई–मित्र आदि के माध्यम से होता है
- परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन नहीं करवाने पर कार्ड छपने में अधिक समय लगता है

भामाशाह नामांकन में संशोधन

- भामाशाह नामांकन में संशोधन की सुविधा ई–मित्र पर उपलब्ध है
- परिवार में जन्म या विवाह आदि से सदस्यों में बदलाव, मोबाइल नम्बर बदलाव ये सभी ई–मित्र पर करवाया जा सकता है

भामाशाह से नकद लाभ सीधा लाभार्थी तक

- पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति का पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है
- खाते में पैसा आते ही लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल में मैसेज आ जाता है
- यह राशि नज़दीक के ई–मित्र या अटल सेवा केन्द्र पर बायोमैट्रिक तरीके से (यानि मशीन में अंगूठा लगाकर) निकाली जा सकती है
- रूपे कार्ड द्वारा भी पैसा निकाला जा सकता है
- राशि निकालने पर भामाशाह में रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आ जाता है
- पेटीएम, वोडाफोन एम–पैसा और एयरटेल मनी जैसे मोबाइल माध्यमों से भी पैसा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है

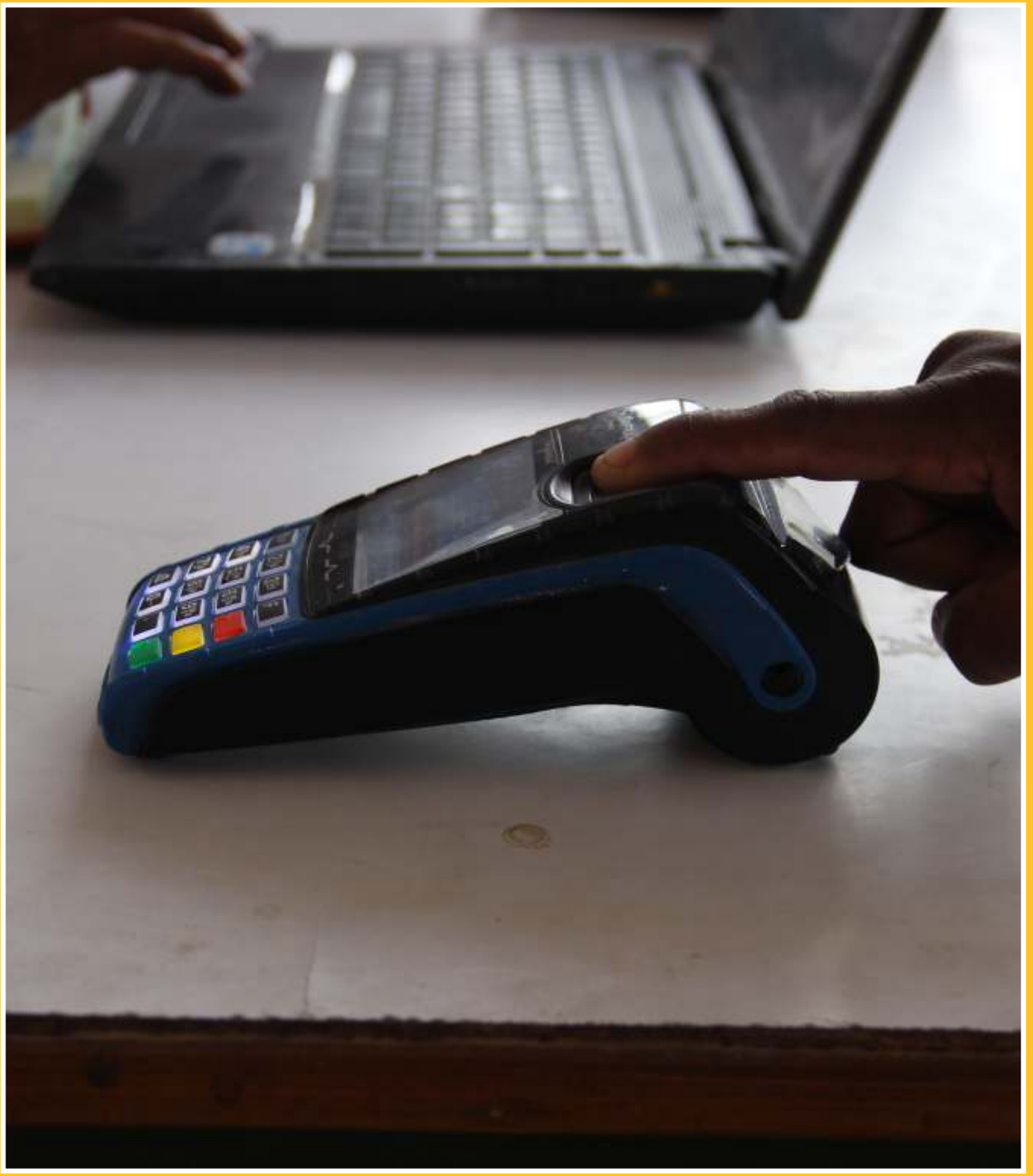

नकद लाभ प्राप्त करने में संभावित समस्याएं और उनका समाधान...

- **लाभार्थी का भामाशाह कार्ड बन गया पर खाते में पैसा नहीं मिलने लगा तो क्या करें**
- पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति नम्बर भामाशाह से जुड़वाएं
- बैंक खाता आधार से जुड़वाएं
- अगर पहले से जुड़ा खाता सही नहीं है तो सही बैंक खाता जुड़वाएं
- इन कामों के लिए ई–मित्र या अटल सेवा केन्द्र पर जाएं

लाभार्थी के खाते में पैसे आ गये लेकिन निकालने में समस्या हैं

- बैंक जाकर रूपे कार्ड एक्टिव करवाएं (यह सुविधा राजस्व शिविरों में भी उपलब्ध है)
- यदि रुपे कार्ड से जुड़ा गोपनीय पिन नहीं मिला तो बैंक जाकर प्राप्त करें
- किसी क्षेत्र में ई–मित्र या बी.सी. नहीं है, तो हमें इसकी सूचना दें। विभाग द्वारा नये व अतिरिक्त बी.सी. नियुक्त किये जा रहे हैं
- ई–मित्र संचालकों के पास खाताधारकों को देने के लिए पर्याप्त राशि हो इसके लिए संचालक के लिए भारत सरकार के मुद्रा लोन का विकल्प उपलब्ध है
- ई–मित्र संचालकों को ट्रैनिंग देने व समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा हर ब्लॉक में सूचना–सहायकों की एक टीम तैयार की गई है
- हर ई–मित्र केन्द्र पर 'रेट–लिस्ट' लगी हुई है जिससे लोगों को सेवाओं और निर्धारित शुल्क दोनों के बारे में पता चलता है

भामाशाह के माध्यम से राशन वितरण

- नकद लाभ के साथ ही अब राशन वितरण व भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे ग़ैर–नकद लाभ भी अब बायोमैट्रिक तरीके से अंगूठा लगाकर मिल रहे हैं
- मशीन में अंगूठा लगाकर राशन लेने का फायदा है कि राशन उसके असली हक़दार को ही मिलता है

राशन प्राप्त करने में संभावित समस्याएं और उनका समाधान...

यदि लाभार्थी को पॉस मशीन से राशन लेने में समस्या है तो ध्यान दें कि

- परिवार का कोई भी सदस्य जिसका आधार नम्बर भामाशाह से जुड़ा हो वह मशीन पर अँगूठा या अँगुली लगाकर राशन ले सकता है।
- परिवार के किसी एक सदस्य की बायोमैट्रिक पहचान में समस्या होने पर परिवार में से कोई भी अन्य सदस्य जिसका आधार नम्बर भामाशाह कार्ड में है, वह मशीन पर अँगूठा लगाकर राशन प्राप्त कर सकता है।
- परिवार का कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान के लिए हाथ की कोई भी अँगुली या अँगूठा इस्तेमाल कर सकता है।
- बायोमैट्रिक ३ बार असफल होने पर वन टाईम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भेजा जाता है, इस ओ. टी.पी. को मशीन में दर्ज करके राशन लिया जा सकता है।
- विभाग की सूचना–सहायकों की टीम एक–एक विक्रेता से मिल कर उनकी ट्रेनिंग भी कर रही है।
- यदि राशन डीलर की पॉस मशीन की कनेक्टिविटी में समस्या हो तो वह उस मोबाइल नेटवर्क की सिम ले जिसका नेटवर्क उस क्षेत्र में बेहतर हो।
- मोबाइल नेटवर्क कम काम करने पर मशीन को external antenna से भी जोड़ा जा सकता है।

लाभार्थी को लेन-देन का मैसेज नहीं मिलता

यदि ऐसा है तो ई–मित्र पर जाकर अपना मोबाइल नम्बर अपना जुड़वाएं। यदि नम्बर गलत है या बदल गया है तो ठीक करवाएं।

माननीय विधायकों व जन प्रतिनिधियों से अपेक्षाएं

- इन सभी बातों को समझकर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें
- भामाशाह योजना व इससे जुड़े सभी पहलुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार–प्रसार करें
- लोगों को भामाशाह नामांकन करवाने, संशोधन करवाने, योजनाओं के रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाइल नम्बर, रुपे कार्ड व उसका पिन लेना, रुपे कार्ड एक्टिवेट करवाने के लिए प्रेरित करें
- किसी भी समस्या या सुझाव के लिए निःशुल्क हैल्पलाइन 1800 180 6127 के बारे में बताएं
- यदि किसी क्षेत्र में ई–मित्र या बी.सी. नहीं है तो विभाग को सूचित करें
- आम जन को ये सभी जानकारियां प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करें

भामाशाह योजना से संबंधित अधिकारीगण

नाम	पद	सम्पर्क
श्री ओम प्रकाश बैरवा	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	9413364566 0141-2222740
श्री जय सिंह	विशेषाधिकारी, यू.आई.डी., सू.प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर	9414086221 0141-2225127
श्री हंसराज यादव	अतिरिक्त निदेशक, यू.आई.डी., सू.प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर	9928366998
श्री राजेन्द्र सिंह तंवर	संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	9413962976 0141-5166229
श्री आर.के. शर्मा	संयुक्त निदेशक, सू.प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर	9413387309
श्री सीताराम स्वरूप	परियोजना अधिकारी, यू.आई.डी., सू.प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर	9414938448

सूचना प्रौद्योगिकी
और संचार विभाग
राजस्थान सरकार